सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वां तल पी.सी.एफ. भवन, 32—स्टेशन रोड, लखनऊ—226001

Ph. No.: 0522-2630877, Fax No.:0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 151 /सो.आ.नि.–309/2015

दिनाँकः 12 जून, 2015

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट, उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स के बकाया मानदेय के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं, जनपदों में तैनात जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स को इस निदेशालय के माध्यम से दिनाँक 01.4.2013 से 31.3.2015 तक मानदेय एवं नियत यात्रा भत्ता का भुगतान नियमित रूप से किया गया है। किन्तु निदेशालय के संज्ञान में यह लाया गया है कि कतिपय जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स, जो दिनाँक 01.4.2013 से पूर्व अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे, उन्हें वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के लिए अनुमन्य मानदेय तथा नियत यात्रा भत्ता का भुगतान अभी तक लम्बित है। ज्ञातव्य हे कि उक्त अवधि में मानदेय का भुगतान मनरेगा के प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले 6% की धनराशि में से परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 द्वारा किया जाता था।

2— आपसे अनुरोध है कि कृपया समीक्षा कर ले कि अभी तक ऐसे कितने मामले हैं जिनमें जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स को वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 की अवधि के लिए मानदेय तथा नियत यात्रा भत्ता की धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में यदि नियमानुसार भुगतान बकाया के रूप में अनुमन्य हो तो कृपया मनरेगा के प्रशासनिक मद से भुगतान करते हुए प्रकरण को अन्तिम रूप से निस्तारित करने का कष्ट करें किन्तु यदि धनाभाव के कारण भुगतान करने में कठिनाई हो तो कृपया संलग्न नए प्रारूप पर लम्बित मानदेय एवं नियत यात्रा भत्ता के भुगतान हेतु माँगपत्र प्रमाण पत्र सहित प्रेषित करने का कष्ट करें। आपसे माँग पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण में सक्षम स्तर से आदेश प्राप्त करते हुए यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

3— कृपया उपरोक्तानुसार वांछित मांग पत्र दिनाँक 18.06.2015 तक प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

12/06/15

(राजवर्धन)
निदेशक

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

पृष्ठांकन संख्याः 151/सो.आ.नि.–309/2015, तद्‌दिनाँकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

12/06/15

(राजवर्धन)
निदेशक

G:/LP/January2015/Letter

जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के 1 अप्रैल, 2013 से पूर्व के लंबित मानदेय तथा नियत यात्रा–भत्ता के भुगतान हेतु माँग पत्र

जनपद : ....

क्र.सं.	नाम/पदनाम	जिला/विकास खण्ड का नाम	माह/वर्ष	अनुमन्य धनराशि			अभ्युक्ति
				मानदेय	नियत यात्रा–भत्ता	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त माँगपत्र उपस्थिति के सत्यापनोपरान्त उन्हें अनुमन्य धनराशि के आधार पर बनाया गया है तथा अभिलेखों के आधार पर उक्त धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

ह0

नाम ....
जिला विकास अधिकारी,
जनपद.......................
सील

Arun 2015